संचिका सं0-ओ0/रा0मा0आ0(विविध)-04/09 अंश ............/

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

**जितेन्द्र कुमार,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः- *वित्त विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- .......... मार्च, 2016

**विषयः-** **बिहार मानवाधिकार आयोग के लिए एक निबंधक एवं एक सहायक निबंधक के स्वीकृत पद के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-9433 दिनांक-25.08.2015 द्वारा आयोग में श्री राधाकृष्ण, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को निबंधक के पद पर एवं श्री विजय कुमार जैन, सेवानिवृत अपर जिला न्यायाधीश को सहायक निबंधक के पद पर पुनर्नियोजन के फलस्वरूप सेवाशर्तो के निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की स्वीकृति के फलस्वरूप गृह विभाग की अधिसूचना सं0-27-गृ0आ0 दिनांक-03.01.2000 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तदुपरांत यथाविहित प्रक्रियान्तर्गत महामहिम राज्यपाल, बिहार के आदेश से विभागीय अधिसूचना संख्या-6896 दिनांक-25.06.2008 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गयी।

2. बिहार मानवाधिकार आयोग एक स्थायी संवैधानिक आयोग है।

3. गठित राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यो के सम्पादन हेतु प्रशाग्नी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 95 पदों यथा स्वीकृत्यादेश सं0-10737 दिनांक-10.11.2008 द्वारा 33 (तेंतिस) पद स्वीकृत्यादेश सं0-11156 दिनांक-19.11.2008 द्वारा 02 (दो) पद तथा स्वीकृत्यादेश सं0-11962 दिनांक-27.07.2011 द्वारा 60 (साठ) पद की सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-11962 दिनांक-27.07.2011 में आयोग के लिए एक निबंधक एवं एक सहायक निबंधक के स्वीकृत पद के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-9433 दिनांक-25.08.2015 द्वारा श्री राधाकृष्ण, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को निबंधक के पद पर एवं श्री विजय कुमार जैन, सेवानिवृत, अपर जिला न्यायाधीश को सहायक

कृ0पृ0उ0

निबंधक के पद पर 02 वर्ष की अवधि, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए पुनर्नियोजित किया गया है।

5. बिहार मानवाधिकार आयोग में विभागीय अधिसूचना सं0-9433 दिनांक-25.08.2015 द्वारा पुनर्नियोजित निबंधक एवं सहायक निबंधक का वेतन एवं भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ निम्न प्रकार होगीः-

| | | |
|---|---|---|
| वेतन | - | सेवानिवृति के समय प्राप्त मूल वेतन। |
| महंगाई भत्ता | - | सेवानिवृति के समय महंगाई भत्ता का 50% |
| आवास किराया भत्ता | - | सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने पर अनुमान्य आवास किराया भत्ता। |
| **वेतन+महंगाई भत्ता का 50%+आवास किराया भत्ता में से पेंशन की राशि घटाई जायेगी तथा पेंशन पर महंगाई राहत देय होगा।** | | |
| परिवहन भत्ता एवं टेलीफोन | | पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर परिवहन भत्ता एवं टेलीफोन सुविधाएँ देय। |
| यात्रा भत्ता | - | बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के अनुसार सरकारी कार्य हेतु यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है। |
| समाचार पत्र | - | 02 (दो) दैनिक समाचार पत्र । |

**विश्वासभाजन,**

ह0/-
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

**ज्ञापांकः-** ................................../ **पटना, दिनांक**.............., 2016

**प्रतिलिपि** :- माननीय अध्यक्ष/सचिव/निबंधक/सहायक निबंधक, बिहार, मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

**ज्ञापांकः-** 2105 / **पटना, दिनांक**- 02-3-, 2016

**प्रतिलिपि** :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Jitendra 02.03.16
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।